उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-21/2022/एस-2-।/184658/दस-2022-122/2022

लखनऊ :: दिनॉक: 30 जून 2022

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	अतिरिक्त कार्यभार का पद व स्थान
1	2	3
1	श्री अजय कुमार सोनकर वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थनगर।	वित्त नियंत्रक स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सिद्धार्थनगर।
2	श्रीमती नीलम सिंह, वित्त नियंत्रक, अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।	वित्त नियंत्रक, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन (एन0आर0 एच0 एम0) लखनऊ।
3	श्री शिवेन्द्र कुमार मिश्रा, वित्त नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ0प्र0 लखनऊ।	वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद उ0प्र0 लखनऊ।
4	श्री शिवराम, वित्त नियंत्रक, कार्यालय आबकारी आयुक्त, प्रयागराज।	वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
5	श्री कमलेन्द्र कुमार, वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।	वित्त अधिकारी, डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास दिव्यांग विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6	श्री अजय प्रताप सिंह वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर।	वित्त नियंत्रक, श्रमायुक्त कार्यालय उ0प्र0, कानपुर।
7	श्री संतोष कुमार शर्मा, वित्त अधिकारी, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी।	वित्त नियंत्रक वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

8	श्री रमेश चन्द्र, वित्त नियंत्रक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
9	श्री संतोष कुमार कुशवाहा, वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।	उप अर्थ नियंत्रक, पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
10	श्री सुनील मैत्रेय, वित्त नियंत्रक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।	वित्त नियंत्रक, कृषि विविधीकरण परियोजन (यूपीडास्प) लखनऊ।
11	श्री गोपाल खरे, वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।	मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
12	श्री अशोक राव गौतम, वरिष्ठ संभागीय लेखाधिकारी (खाद्य) सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।	मुख्य कोषाधिकारी, सहारनपुर।
13	श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, वित्त अधिकारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ।	मुख्य कोषाधिकारी, मेरठ।
14	श्रीमती साधना कोरी, अनु सचिव, वेतन पर्ची प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।	मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
15	श्री महामिलिन्द लाल, निदेशक (वित्त) राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।	वित्त नियंत्रक मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
16	श्री मोनिस अली सिददीकी अपर आयुक्त (वित्त) राजस्व परिषद, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।	अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन देवीपाटन मण्डल गोण्डा ।
17	श्री आत्म प्रकाश बाजपेयी, संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, बस्ती मण्डल बस्ती।	मुख्य कोषाधिकारी, बस्ती।
18	श्री राम कृपाल बिन्द, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, झाँसी मण्डल, झाँसी।	मुख्य कोषाधिकारी, झाँसी।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

19	श्री सुधीर कुमार गंगवार, वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।	मुख्य कोषाधिकारी, अयोध्या।
20	श्री साहित्य कुमार कटियार, अपर आयुक्त (वित्त), राजस्व परिषद, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।	मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
21	श्री शिवेन्द्र सिंह, वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, प्रयागराज।	मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार,प्रयागराज।
22	श्री पारस नाथ गुप्ता, वरिष्ठ संभागीय लेखाधिकारी (खाद्य) बरेली मण्डल, बरेली।	मुख्य कोषाधिकारी, बरेली।
23	श्री दुर्गेश कुमार त्रिपाठी, पंचायतीराज लेखा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, जनजाति विकास निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
24	श्री तेज बहादुर सिंह, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।	वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
25	श्री सुनील कुमार यादव, वित्त नियंत्रक, राज्य स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच।	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
26	श्री कृपानन्द शुक्ला, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय आयुक्त व्यापार कर उ0प्र0 लखनऊ।	मुख्य आन्तरिक सम्प्रेक्षा अधिकारी उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ।
27	श्री आलोक कुमार राय, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।	प्रबन्धक (वित्त) उ0प्र0 सेतु निगम लि0 लखनऊ।
28	श्री अनुराग गुप्ता, वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बदायूँ।	वरिष्ठ कोषाधिकारी बदायूँ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

29	संबंधित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/ मुख्य कोषाधिकारियों द्वारा अपने कार्यो के साथ-साथ सम्मुख कालम-3 में अंकित वित्त नियंत्रक राज्य स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी अतिरिक्त वेतन भत्ते के देखा जायेगा।	वित्त नियंत्रक, राज्य स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय अमेठी, औरैया, कानपुर देहात, कुशीनगर, कौशाम्बी, गोण्डा, चन्दौली, पीलीभीत, बुलन्दशहर, बिजनौर, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, सुल्तानपुर एवं सोनभद्र।
30	श्री निशान्त उपाध्याय, वित्त नियंत्रक, दुग्ध विकास आयुक्त उ0प्र0 लखनऊ।	मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
31	श्री अशोक कुमार सिंह, वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
32	श्री महेन्द्र कुमार भट्ट, वित्त नियंत्रक, पशुपालन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।	वित्त नियंत्रक, ग्राम्य सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
33	श्री साहित्य कुमार कटियार, अपर आयुक्त (वित्त) राजस्व परिषद, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।	सामान्य प्रबन्धक (वित्त) गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर।
34	श्री प्रदीप कुमार, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई, इटावा।	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई, इटावा।
35	श्री दुर्गेश कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायतीराज लेखा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
36	श्री राज नारायण सिंह, अर्थ नियंत्रक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।	वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
37	श्री प्रेम शंकर चौधरी, वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, कानपुर मण्डल, कानपुर।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

38	श्री राशेश्याम, वरिष्ठ संभागीय लेखाधिकारी (खाद्य) कार्यालय संभागीय खाद्य नियंत्रक कानपुर।	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर।
39	श्री नीरज श्रीवास्तव, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, अयोध्या मण्डल अयोध्या।	संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, अयोध्या मण्डल अयोध्या।
40	डा0 राघवेन्द्र सिंह, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा।	वरिष्ठ संभागीय लेखाधिकारी (खाद्य) कार्यालय संभागीय खाद्य नियंत्रक, आगरा।
41	श्री राम प्रकाश पाल, निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ।	वरिष्ठ वित्त सलाहकार, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, उ0प्र0 लखनऊ।
42	डा0 महेश चन्द्र पाण्डेय, संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबन्धन) राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान, लखनऊ।	मुख्य सम्प्रेक्षा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
43	श्रीमती रागिनी सिंह, वित्त नियंत्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, नगर निगम, लखनऊ।
44	श्री गिरीश चन्द्र चौबे, संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, लखनऊ मण्डल लखनऊ।	वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जी0श्रीनिवासुलु
विशेष सचिव।

संख्या-21/2022-एस-2-।/184658 (1)/दस-2022,तददिनाँक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिवगण, उ0प्र0 शासन।

2- संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- आयुक्त/जिलाधिकारी, समस्त संबंधित मण्डल/जनपद।

4- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

6- समस्त संबंधित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी उ0प्र0।

7- संबंधित अधिकारीगण ।

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सजीवन)

उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।